(9)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन–रायपुर

क्रमांक 70 / 686–07 / 2011 / ब–4 / चार, रायपुर, दिनांक 11 जनवरी, 2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

....विभाग,

मंत्रालय, रायपुर ।

विषय :– **वर्ष 2010–11 से संबंधित पुनर्विनियोजन /समपर्ण संस्वीकृतियां निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने बाबत् ।**

::::::00000::::::

उपर्युक्त विषयांतर्गत महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक रिपोर्ट–1 / विनि.लेखे / 2010–11 / आर–1 / 193 दिनांक 23.12.2010 की प्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है ।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप चाही गई जानकारी **निर्धारित प्रपत्र में सीधे महालेखाकार, रायपुर** को भेजते हुए वित्त विभाग को सूचित करने का कष्ट करें ।

कृपया विषयवस्तु पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

07/1/11
(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

पृ.क्रमांक 71 / 686–07 / 2011 / ब–4 / चार, रायपुर, दिनांक 11 जनवरी, 2011
प्रतिलिपिः–

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक रिपोर्ट–1 / विनि.लेखे / 2010–11 / आर–1 / 192 एवं 193 दिनांक 23.12.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

07/1/11
शीघ्र अधिकारी
वित्त विभाग

(4)

अर्द्ध शास कीय पत्र संख्या / रिपोर्ट–1 / विनि.लेखे / 2010–11 / आर–1 / 193

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ , रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

सत्यमेव जयते

दिनांक :
Date :

प्रवीण कुमार सिंह
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रिय श्री रिड,

छत्तीसगढ़ राज्य के विनियोग लेखे वर्ष 2010--11 के संकलन का कार्य किया जाना है, इससे सम्बंधित पुनर्विनियोजन / समर्पण प्रस्ताव 31 मार्च 2011 तक स्वीकृत कर 30 अप्रैल 2011 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने बावत कृपया सभी विभाग प्रमुख को निर्देशित करें ।निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त स्वीकृतियों को लेखे में समाहित करना सम्भव नहीं होगा ।

इस सम्बंध में आपको सूचित करना है कि वित्त वर्ष 2009- 10 के विनियोग लेखे से सम्बंधित पुनर्विनियोजन / समर्पण की संस्वीकृतियों में निम्नलिखित विसंगतिया पाई गई थी :-

1. प्रायः पुनर्विनियोजन / समर्पण प्रस्ताव सचिव स्तर से स्वीकृत न किए जाकर कुछ विभाग प्रमुखों द्वारा सीधे इस कार्यालय को प्रेषित किए गए थे।
2. प्राप्त कुछ स्वीकृतियों में आयोजना / आयोजनेतर, दत्तमत / भारित, मांग संख्या, मुख्य शीर्ष उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / समूह शीर्ष / विस्तृत शीर्ष तथा उप विस्तृत शीर्ष तक विवरण अंकित नहीं किया गया था ।
3. कुछ विभागों द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोजन / समर्पण अग्रेषण पत्र में राशि तथा मांग संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था, अपितु अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न किए गए प्रस्ताव के विवरण के आधार पर पुनर्विनियोजन / समर्पण स्वीकृत किए गए थे ।
4. इस कार्यालय को भेजे गए कुछ स्वीकृतियों के साथ संलग्न पुनर्विनियोजन / समर्पण के विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में नहीं थे । निर्धारित प्रारूप पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्र कमांक रिपोर्ट--1 / विनि.लेखा / 2008–09 / 151 / आर–1 दिनांक 26.11.08 के द्वारा सचिव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है (प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है)।
5. समर्पण की स्वीकृतियों में विभिन्न उपशीर्षों में आधिक्य की राशि को बचत राशि से समायोजित करते हुए बचत की निवल राशि हेतु समर्पण स्वीकृत किया गया था यह त्रुटिपूर्ण है।

लेखा एवं प्रशासन शाखा - 12/27, रमन मंदिर वार्ड ,रायपुर आईस फैक्ट्री बिल्डिंग, फाफाडीह , रायपुर – 492 009 , पी.बी.एक्स– 4017382, 4013774, 4048541, 4013498, 4013346, फैक्स : 2882607
A/C & Admin. wing 12/27, Raman Mandir Ward, Raipur Ice Factory Building, Fafadih, Raipur 492 009 PABX - 4017382, 4013774, 4048541, 4013498, 4013346, Fax : 2882607
निधि शाखा– पगारिया काम्पलेक्स, पंडरी, रायपुर– 492 009 पी.बी. एक्स 4045435, 4045914, फैक्स : 2886205
Fund Wing - Pagariya Complex, Pandri, Raipur - 492 009 PABX 4045435/ 4045914, Fax : 2886205, E-mail : agchattisgarh@cag.gov.in

समर्पण की स्वीकृतियों में उपशीर्ष के किसी उप विस्तृत शीर्ष में व्यय आधिक्य पाये जाने पर उसी उप शीर्ष के अंतर्गत हुई बचत से समायोजित करते हुए निवल बचत राशि हेतु समर्पण स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये ।

6. कुछ पुनर्विनियोजन / समर्पण की स्वीकृतियों में आधिक्य / बचत के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था ।

7. स्वीकृतियां जारी करते समय छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पुनर्विनियोजन नियमों का विभागों द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण कुछ स्वीकृतियां अमान्य कर निरस्त करना पड़ा ।

8. कुछ स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात जारी की गई थी, जिन्हें अमान्य कर निरस्त किया गया ।

उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर इस वर्ष पुनर्विनियोजन / समर्पण स्वीकृतियां इस कार्यालय को भेजने के पूर्व निम्न निर्देश विभाग प्रमुखों को जारी करने का कष्ट करें :—

1. प्रत्येक मांग संख्या के लिए पृथक से स्वीकृतियां जारी करें ।
2. पुनर्विनियोजन एवं समर्पण की स्वीकृतियां मांग संख्या अनुसार पृथक पृथक जारी की जावें ।
3. पुनर्विनियोजन एवं समर्पण की आयोजना / आयोजनेतर की स्वीकृतियां पृथक पृथक जारी की जावें ।
4. पुनर्विनियोजन किए जाने पर भी आधिक्य होने की दशा में समर्पण नहीं किया जावे ।
5. पुनर्विनियोजन एवं समर्पण स्वीकृतियों में पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के किए जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।
6. 31 मार्च के पश्चात किए पुनर्विनियोजन एवं समर्पण स्वीकृतियों को अमान्य किया जावेगा । अमान्य की गई राशियों का उस वित्तीय वर्ष के लेखों में किस प्रकार संधारण किया गया उसकी जानकारी से इस कार्यालय को अवगत कराया जावे ।

मैं आपका अत्यन्त आभारी होऊंगा यदि आप इस विषय में व्यक्तिगत रूचि लेकर सुनिश्चित करें कि उपरोक्त विसंगतियों की पुनरावृत्ति न हो और उपरोक्त दिशा निर्देश का भी विभागों द्वारा समुचित पालन किया जावे । इसलिए संबंधित विभागों को समुचित दिशा निर्देश देने का कष्ट करेंगें, ताकि विनियोजन लेखे का संकलन सही प्रकार से एवं समय पर पूर्ण किया जा सके ।

संलग्न -- यथोक्त

भवदीय

प्रवीण कुमार सिंह
23.12.10

जावक क्रमांक ....318....
सं.सं./वि.वो.
दिनांक 3/1/2010

क्र. 10 /वि.स./प्र.स./वि.यो.एवं आ.कर/20
दिनांक 1/1/11

श्री अजय सिंह
प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
डी.के.एस. भवन मंत्रालय,
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 555/स.वि.वि/20
आवक ...
जावक ...

P.S. on leave

सचिव (व्ही)
उप सचिव (ए.सी.)
संयुक्त सचिव (वित्त)
उप सचिव (वित्त)
उप सचिव (वा.कर)
आयुक्त (वा.कर)
संचालक (सं. वित्त)

JS(K)
03 JAN 2011

प्रमुख सचिव
वित्त, योजना एवं वा.कर विभाग

R.O.
Draft pl

पर्जी क्रमांक - 07
ब-4/ चार / वित्त / 2011
दिनांक 3/1/2011

04/1/11

3/1/11

14-01-11

अनुलग्नक – II (समर्पण हेतु प्रारूप)

छत्तीसगढ़ शासन / विभाग

मांग संख्या .... आयोजना / आयोजनेतर, दत्तमत / भारित

(राशि रूपयों में)

लेखा शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2010–11 हेतु प्रावधान	वर्ष 2010–11 में कुल व्यय	बचत राशि	बचत के कारण
1	2	3	4	5
मुख्य शीर्ष				
उप मुख्य शीर्ष				
लघु शीर्ष				
समूह शीर्ष				
उप शीर्ष				
विस्तृत शीर्ष				
उप विस्तृत शीर्ष				
योग– उप शीर्ष				

हस्ताक्षर
पदनाम

नक – 1 (पुनर्विनियोजन हेतु प्रारूप)

8

छत्तीसगढ़ शासन/विभाग

मांग संख्या .... आयोजना/आयोजनेत्तर , दत्तमत/भारित

बजट शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	दिसम्बर 2010 तक व्यय	जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक का संभावित व्यय	वर्ष 2010–11 हेतु कुल आवश्यता	पुनर्विनियोजन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	आधिक्य के कारण	बजट शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	दिसम्बर 2010 तक व्यय	जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक का संभावित व्यय	वर्ष 2010–11 हेतु कुल आवश्यता	पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्तावित राशि	बचत के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मुख्य शीर्ष उपमुख्य शीर्ष लघु शीर्ष समूह शीर्ष **उप शीर्ष** विरतृत शीर्ष उप विस्तृत शीर्ष													
योग उप शीर्ष							योग उप शीर्ष						

हस्ताक्षर
पदनाम